ए.

शफी मोहम्मद

वी.

हिमाचल प्रदेश का राज्य

(2017 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 2302)

अप्रैल 03,2018

बी.

[आदर्श कुमार गोयल और आर**.** एफ**.** नरीमन**,** जे**.** जे**.]**

अनुसंधान -अपराध स्थल पर वीडियोग्राफी का उपयोग-आपराधिक न्याय के प्रशासन में सुधार के लिए अनुसंधान के दौरान अपराध स्थल की वीडियोग्राफी का बहुत महत्व है-प्रौद्योगिकी अनुसंधान में एक बड़ा साधन है-वीडियोग्राफी द्वारा, महत्वपूर्ण साक्ष्य को पकड़ा जा सकता है और विश्वसनीय तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है-इस तथ्य के बावजूद कि भारत में अनुसंधान एजेंसियां पूरी तरह से सुसज्जित नहीं हैं और वीडियोग्राफी के उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, समय आ गया है कि अनुसंधान में वीडियोग्राफी को लागू करने के लिए कदम उठाए जाएं, विशेष रूप से अपराध स्थल के लिए, जैसा कि कानून के शासन को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय की समिति द्वारा सुझाए गए वांछनीय और स्वीकार्य सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में-इसलिए, समिति द्वारा तैयार की गई केंद्रीय संचालित कार्य योजना और समयसीमा को मंजूरी दी जाती है-यह निर्देश दिया जाता है कि समिति द्वारा तैयार की गई कार्य योजना को लागू करने के लिए कदम उठाए जाएं।करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2009) 8 एससीसी 539

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

:[2009] 11 एस**.** सी**.** आर**. 470-**अनुसरण किया गया।

एच.

1096 ए.

1097

शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ए

डी**.** के**.** बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। **(2015) 8**

एससीसी **744:[2015] 7** एससीआर **814-**पर भरोसा किया गया।

राम सिंह और ओआरएस**.** वी**.**कर्नल राम सिंह **(1985)**

एससीसी 611:[1985] पूरक।एस. सी. आर. 399; तुकाराम एस. दिघोले

बनाम माणिकराव शिवाजी कोकाटे **(2010) 4** एस**.** सी**.** सी**. 329:[2010] 2** एस**.** सी**.** आर**. 396;** टोमासो ब्रूनो और एन**.v.** उत्तर राज्य

बी.

प्रदेश (2015) 7 एससीसी 178:[2015] 1 एस. सी. आर. 721; मो.

अजमल आमिर कसाब बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2012) 9**

एससीसी 1:[2012] 8 एस. सी. आर. 295; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम नवजोत संधू (2005) 11 एस. सी. सी. 600:[2005] 2 पूरक।एस. सी. आर. 79-संदर्भित।

सी.

आर. वी.मकसूद अली (1965) 2 सभी ई. आर. 464; आर. बनाम रॉबसन (1972) 2 सभी ई. आर. 699-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2009] 11 एस**.** सी**.** आर**. 470** ने पैरा **9 [1985]** सप्लीमेंट का अनुसरण किया। पैरा **9 [2010] 2** एस**.** सी**.** आर**. 396** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 399**

डी.

पैरा **9 [2015] 1** एस**.** सी**.** आर**. 721** पैरा **9 [2012] 8** एस**.** सी**.** आर**. 295** को संदर्भित

पैरा **9 [2005] 2** का उल्लेख किया गया है।एस**.** सी**.** आर**. 79** पैरा **9 [2015] 7** एस**.** सी**.** आर**. 814** को संदर्भित करता है।

ई.

पैरा **13** पर निर्भर

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयःविशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2017 की संख्या 2302।

2009 की आपराधिक अपील संख्या 404 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के दिनांकित 26.06.2014 के निर्णय और आदेश से।

एफ.

के साथ

एसएलपी (सीआरएल) 2011 की संख्या 9431 और 2012 की संख्या 9631-9634।

ए. एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी., अभिनव मुखर्जी, ए. ए. जी., डॉ. अरुण मोहन, (ए. सी.), जयंत भूषण, (ए. सी.), वाई. पी. अध्यारू, वरिष्ठ अधिवक्ता।, ऋतुज चोपड़ा, केतन पॉल, तुषार भूषण, सुश्री ई. आर. सुमति, भारत भूषण, सुश्री जसप्रित गोगिया, सुश्री मंजाकिनी सिंह, सुश्री शिरीन खजुरिया, सुश्री आशा गोपालन नायर, जोहेब हुसैन, सुश्री रुक्मिणी एस. बोबडे, साल्वाडोर एस. रिबेलो, सुश्री निवेदिता नायर, सुश्री स्नेहा प्रभु तेंदुलकर, अमोघ प्रभु, बी. वी. बलराम दास, विकास महाजन, विनोद शर्मा, श्याम सुंदर राय, सुश्री जसप्रित गोगिया, सुश्री मंजाकिनी सिंह, भारत भूषण, सुश्री अनुराधा

जी.

एच.

मुतातकर, श्रीमती बिहू शर्मा, सुश्री पूर्णिमा कृष्ण, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गयाः

2017 का ओ**.** आर**.** डी**.** ई**.** आर**.** एस**.** एल**.** पी**. (**सी**.** आर**.** एल**.) <**आई**.** डी**1>**

बी.

1. अपराध स्थल की वीडियोग्राफी का उपयोग यहाँ विचार का विषय है।हम पहले की सुनवाई पर मामले की कार्यवाही को नोट कर सकते हैं।25 अप्रैल, 2017 के आदेश में यह देखा गयाः

“श्री ए. एन. एस. नाडकर्णी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, तदनुसार उपस्थित हुए और अपनी दलीलें दीं।उन्होंने इस आशय का एक नोट भी प्रस्तुत किया है कि इस तरह के वीडियोग्राफ से वास्तव में अनुसंधान में मदद मिलेगी और इस तरह की अवधारणा का उपयोग कुछ अन्य उन्नत देशों में किया जा रहा है।नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस, जो अमेरिकी न्याय विभाग की एक एजेंसी है, ने अपनी रिपोर्ट में "बॉडी-वॉर्न कैमरों" का उपयोग करने के लिए कथित लाभों और ऐसा करने में आवश्यक सावधानियों का भी उल्लेख किया है।ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस को असामाजिक व्यवहार के खिलाफ निवारक और सबूत इकट्ठा करने के लिए उपकरण के रूप में शरीर में पहने गए कैमरे भी मिले हैं।उन्होंने करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2009) 8 एस. सी. सी. 539 मामले में इस अदालत के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत तलाशी और जब्ती के दौरान प्रौद्योगिकी के उपयोग का संदर्भ दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (संशोधन) 2006, विशेष रूप से धारा 79 ए का भी संदर्भ दिया गया है। (1976) 2 एस. सी. सी. 17, जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम बृजमोहन रामदास मेहरा और अन्य में, इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि नई तकनीकें और उपकरण दिन का क्रम हैं।ऑडियो और वीडियो टेप प्रौद्योगिकी एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उभरी है जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र की जा सकती है और यह महत्वपूर्ण सबूत हो सकता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी फील्ड ऑफिसर्स हैंडबुक की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि खोज दलों को रसद सहायता प्रदान की जाए।यह आगे सुझाव देता है कि सभी पुनर्प्राप्ति और छिपाने के तरीकों की एक साथ वीडियोग्राफी की जानी चाहिए।उक्त पुस्तिका 3 में यह भी सुझाव दिया गया है कि धारा 52 एए के तहत अनुमति ली जानी चाहिए।

जी.

एच.

प्रतिबंधित पदार्थ के मुकदमे से पहले निपटान के लिए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985।इसके अलावा, लोकसभा में एक निजी सदस्य द्वारा पेश किए गए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2016 का संदर्भ दिया गया है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनके विचार में इस तरह का विधेयक न्याय के हितों को आगे बढ़ाएगा और वह भारत सरकार को जांच एजेंसियों द्वारा देश में इन उपायों को अपनाने पर विचार करने और उनकी देखरेख करने की सलाह देंगे।श्री ए. आई. चीमा, विद्वान न्यायमित्र इंगित करते हैं कि Cr.P.C की धारा 54 ए का दूसरा प्रावधान उक्त प्रावधान में निर्दिष्ट परिस्थितियों में पहचान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी प्रदान करता है।उन्होंने यह भी कहा कि धारा 164 Cr.P.C के तहत इकबालिया बयान की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के उपायों को मृत्यु घोषणाओं, पहचान प्रक्रियाओं और पोस्टमार्टम को दर्ज करने के लिए भी अपनाया जा सकता है।चूंकि, हम पाते हैं कि जमीनी स्तर पर इन उपायों को पूरी तरह से नहीं अपनाया गया है, इसलिए हम भारत सरकार के गृह सचिव को विभिन्न अनुसंधान एजेंसियों से यह पता लगाने का निर्देश देते हैं कि इस तरह के उपायों को कितना अपनाया जा सकता है और प्रभावी अनुसंधान और अपराध की रोकथाम के लिए उपरोक्त तकनीक का उपयोग करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं।”

बी.

सी.

डी.

2. इसके बाद, 12 अक्टूबर, 2017 के आदेश में मामले पर विचार इस प्रकार थाः

ई.

“अपर सॉलिसिटर जनरल श्री ए. एन. एस. नाडकर्णी ने एक नोट दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि इस मामले पर केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ चर्चा की थी।अपराध की अनुसंधान में वीडियोग्राफी के उपयोग के लिए एक रोडमैप तैयार करने और एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस. ओ. पी.) का प्रस्ताव करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति (सी. ओ. ई.) का गठन करने का निर्णय लिया गया।समिति ने अपनी बैठकें की हैं। राज्यों की प्रतिक्रिया वीडियोग्राफी के उपयोग के समर्थन में है।केंद्रीय अनुसंधान एजेंसियों ने भी उक्त अवधारणा का समर्थन किया है।हालाँकि, कार्यान्वयन में कुछ आपत्तियाँ व्यक्त की गई हैं जैसे कि वित्त पोषण, डेटा को सुरक्षित करना और उसी का भंडारण।यह भी प्रस्तुत किया गया है कि साक्ष्य का प्रस्तुत करना और स्वीकार्यता भी ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता हो सकती है।

एफ.

जी.

एच.

हमने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत भूषण से अदालत की सहायता करने का अनुरोध किया था, जिन्होंने इस आशय का एक नोट भी प्रस्तुत किया है कि वीडियोग्राफी प्रभावी अभियोजन के लिए एक लाभकारी कदम होगा, बशर्ते कि वीडियोग्राफी के उपयोग को संगत और उपयोगी बनाने के लिए स्वीकार्यता के मुद्दे को हल किया जा सके।उन्होंने यह भी कहा कि अनुसंधान में वीडियोग्राफी के उपयोग के लिए निर्देश जारी किया जाना चाहिए और इस तरह के उपयोग को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

बी.

हमने न्यायालय में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरुण मोहन से इस विषय पर न्यायमित्र के रूप में न्यायालय की सहायता करने का भी अनुरोध किया है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसे उपकरण जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोगी हो सकते हैं, इस विषय पर कुछ प्रकाशनों में सुझाए गए हैं।उक्त 3 प्रकाशनों में से प्रत्येक की एक प्रति श्री नाडकर्णी को प्रस्तुत की गई है ताकि विशेषज्ञों की समिति द्वारा इस पर विचार किया जा सके।उन्होंने प्रस्तुत किया कि स्थिर फोटोग्राफी अधिक उपयोगी हो सकती है क्योंकि यह फोरेंसिक विश्लेषण के लिए बहुत अधिक संकल्प को सक्षम बनाती है।डिजिटल कैमरे को तिपाई पर एक माउंट पर रखा जा सकता है जो घूर्णन और झुकाव को सक्षम कर सकता है।सुरक्षित पोर्टल साबित किए जा सकते हैं जिन पर अनुसंधान अधिकारी अपराध स्थल पर ली गई तस्वीरों को ई-मेल कर सकते हैं।प्रामाणिकता देने और हेरफेर को रोकने के लिए, डिजिटल छवियों को स्थायी रिकॉर्ड के रूप में राज्य के सर्वर पर रखा जा सकता है।राज्य सर्वर डिजिटल फाइलों को आगे के उपयोग के लिए पुलिस स्टेशन को फिर से मेल कर सकता है।बी. पी. आर. एंड डी. द्वारा विशेष कैमरों का चयन किया जा सकता है। ऐसा होने तक स्मार्ट फोन का भी उपयोग किया जा सकता है।बी. पी. आर. एंड डी. अपराध स्थल की फोटोग्राफी और गवाहों के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अनुसंधान अधिकारियों के लिए एक मार्गदर्शन पुस्तिका तैयार कर सकता है।उन्होंने कहा कि इस विषय पर उनके द्वारा एक और टिप्पणी प्रस्तुत की जा सकती है।”

सी.

डी.

ई.

एफ.

3. दिनांक 30 जनवरी, 2018 के आदेश में यह देखा गयाः

“(3) हम कुछ निर्णयों के माध्यम से लिए गए हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है।राम सिंह और अन्य बनाम कर्नल राम सिंह, 1985 (पूरक) एस. सी. सी. 611 में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने उक्त मुद्दे पर विचार किया।आर. वी. में अंग्रेजी निर्णयमकसूद अली, (1965) 2 ऑल ई. आर. 464, और आर. वी.रॉबसन, (1972) 2 ऑल ई. आर. 699, और अमेरिकी कानून जैसा कि अमेरिकी न्यायशास्त्र 2 डी (Vol.29) पृष्ठ 494 में उल्लेख किया गया है, को इस प्रभाव के अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था कि ए. प्राप्त करने के लिए साक्ष्य लाभ के कानून से इनकार करना गलत होगा।

जी.

एच.

1101

शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ए

नई तकनीकों और नए उपकरणों द्वारा, बशर्ते रिकॉर्डिंग की सटीकता साबित की जा सके।इस तरह के साक्ष्य पर हमेशा कुछ सावधानी के साथ विचार किया जाना चाहिए और प्रत्येक मामले की सभी परिस्थितियों के आलोक में मूल्यांकन किया जाना चाहिए।इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को उसकी प्रामाणिकता के बारे में न्यायालय द्वारा अपनाए गए सुरक्षा उपायों के अधीन स्वीकार्य माना गया था।टेप-रिकॉर्डिंग के मामले में यह देखा गया कि वक्ता की आवाज की विधिवत पहचान की जानी चाहिए, रिकॉर्ड बनाने वाले द्वारा बयान की सटीकता को साबित करने की आवश्यकता थी, 5 के साथ छेड़छाड़ की संभावना को खारिज करने की आवश्यकता थी।साक्ष्य के टुकड़े की विश्वसनीयता निश्चित रूप से एक तथ्य स्थिति के तथ्यों और परिस्थितियों में निर्धारित की जाने वाली बात है।हालाँकि, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की सीमा स्वीकार्यता को किसी भी तकनीकीता पर खारिज नहीं किया जा सकता है यदि वह प्रासंगिक था।

बी.

सी.

(4) तुकाराम एस. दिघोले बनाम माणिकराव शिवाजी कोकाटे, (2010) 4 एस. सी. सी. 329 में भी यही सिद्धांत दोहराया गया था।इस न्यायालय ने कहा कि नई तकनीकें और उपकरण आज के क्रम में हैं।हालाँकि ऐसे उपकरण छेड़छाड़ के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं, लेकिन कोई विस्तृत नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिसके द्वारा ऐसे साक्ष्य की

स्वीकृति का न्याय किया जा सके।इसकी प्रामाणिकता और सटीकता के प्रमाण का मानक अन्य दस्तावेजी साक्ष्य की तुलना में अधिक कठोर होना चाहिए।

डी.

ई.

(5) टोमासो में ब्रूनो और एनर बनामउत्तर प्रदेश राज्य, (2015) 7 एस. सी. सी. 178, एक तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक स्वभाव की उन्नति को अनुसंधान के तरीके में व्याप्त होना चाहिए।इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथ्यों को स्थापित करने के लिए प्रासंगिक थे।वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एक जाँच एजेंसी के लिए एक बड़ी मदद हो सकती है।मोहम्मद में इस न्यायालय के फैसलों का संदर्भ दिया गया था।अजमल आमिर कसाब बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2012) 9 एस. सी. सी. 1 और राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम नवजोत संधू, (2005) 11 एस. सी. सी. 600।"

एफ.

4 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (4) की व्याख्या के मुद्दे पर यह देखा गयाः

जी.

"12. तदनुसार, हम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता पर विषय पर कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं, विशेष रूप से एक पक्ष द्वारा जिसके पास वह उपकरण नहीं है जिससे दस्तावेज़ प्रस्तुत किया गया है।ऐसी पार्टी की आवश्यकता नहीं हो सकती है

एच.

1102 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 3 एस. सी. आर.

साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (4) के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। प्रमाणपत्र की आवश्यकता के प्रक्रियात्मक होने की प्रयोज्यता में अदालत द्वारा ढील दी जा सकती है जहां न्याय का हित उचित है।

13. अपराध स्थल पर वीडियोग्राफी के उपयोग के लिए रोडमैप को अंतिम रूप देने और मानक संचालन प्रक्रिया (एस. ओ. पी.) सहित शेष पहलुओं पर विचार करने के लिए, हम मामले को 13 फरवरी, 2018 तक के लिए स्थगित कर देते हैं।"

बी.

5. हमने अब इस मुद्दे को आगे के विचार के लिए उठाया है।गृह मंत्रालय (एम. एच. ए.) के निदेशक द्वारा 21 मार्च, 2018 को एक हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें 22 नवंबर,

2017 को पुलिस अनुसंधान में वीडियोग्राफी के उपयोग के बारे में एम. एच. ए. द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट को जोड़ा गया है।समिति ने वर्तमान अवसंरचना और उपयोग, जांच के दौरान वीडियोग्राफी के उपयोग के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं/समस्याओं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (4) के तहत प्रमाण पत्र के अभाव में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता, संचालन संबंधी कठिनाइयों, प्रशिक्षण की कमी, धन, फोरेंसिक सुविधाओं सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया।समिति ने पाया कि हालांकि अपराध स्थल

सी.

डी.

वीडियोग्राफी एक "वांछनीय और स्वीकार्य सर्वोत्तम अभ्यास" था।

अनिवार्य वीडियोग्राफी के लिए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता थी। वीडियोग्राफी "सर्वश्रेष्ठ प्रयास" के आधार पर की जा सकती है।अलग-अलग राज्यों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए समय-सीमा अलग होनी चाहिए।समिति ने दो वैकल्पिक समयसीमा का सुझाव दिया।समिति द्वारा सुझाए गए विकल्प-बी का दूसरा विकल्प इस प्रकार हैः

ई.

“ 7.3 विकल्प-बीःकेंद्रीय रूप से संचालित कार्य योजनाः

दूसरा सुझाव मील का पत्थर आधारित समीक्षा तंत्र के साथ चरणबद्ध तरीके से निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए है।

एफ.

ए. चरण-Iःतीन महीनेःअवधारणा, प्रसार और तैयारी।

* कार्यों की अनुशंसित श्रेणियों की वीडियोग्राफी की अवधारणा, i) 50 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों में प्रायोगिक परियोजना शुरू करने की तैयारी; और,(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के तीन महीने के भीतर प्रत्येक शेष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का कम से कम एक जिला।चयनित जिलों में, ए

जी.

एच.

1103

शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ए

पायलट परियोजना के रूप में सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर योजना के कार्यान्वयन के लिए कम से कम पांच पुलिस थानों की पहचान की जा सकती है।

* तीन महीने के अंत तक प्रशिक्षित पुलिस वीडियोग्राफर के रूप में योग्य होने के लिए वीडियोग्राफी तकनीकों पर पुलिस स्टेशन में कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके क्षमता निर्माण।प्रत्येक चयनित पुलिस स्टेशन को एक वर्ष में उस पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रत्येक 25 जघन्य/गंभीर अपराध के मामलों के लिए दो (2) प्रशिक्षित पुलिस वीडियोग्राफर की दर से प्रशिक्षित पुलिस वीडियोग्राफर योग्यता के लिए कर्मियों की पहचान करनी चाहिए।

बी.

सी.

* चयनित जिलों को प्रशिक्षित पुलिस वीडियोग्राफर द्वारा उपयोग के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए सक्षम/वित्त प्रदान किया जाए।

* डिजिटल साक्ष्यों को संभालने में प्रशिक्षित एफएसएल के एक प्रतिनिधि की पहचान प्रत्येक राज्य द्वारा पायलट परियोजना कार्यान्वयन जिला प्रशिक्षित पुलिस वीडियोग्राफरों को सलाह देने और हाथ पकड़ने के लिए की जानी चाहिए।जहां एफ. एस. एल. के पास देने के लिए कोई संसाधन नहीं है, संबंधित जिले के एस. पी./डी. सी. पी. को प्रशिक्षित पुलिस वीडियोग्राफरों को संभालने/सलाह देने के लिए डिजिटल इमेजिंग और बैक-अप प्रौद्योगिकियों में निपुण एक निजी तकनीकी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए।

डी.

ई.

* बी. पी. आर. और डी./सी. डी. टी. एस./राज्य पुलिस अकादमियों द्वारा प्रशिक्षक पुलिस वीडियोग्राफर प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रशिक्षक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण तैयार करना।

एफ.

ख. चरण-II:छह महीनेःप्रायोगिक परियोजना कार्यान्वयन

* अवधारणा, प्रसार और तैयारी के तीन महीने के चरण के बाद, पायलट परियोजना को राज्यों के चुने गए जिलों के चयनित पुलिस थानों में शुरू किया जाना चाहिए।

जी.

* संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पुलिस उपाधीक्षक/सहायक पुलिस आयुक्त के पद के एक अधिकारी को नामित करेंगे।

एच.

पायलट परियोजना और पायलट कार्यान्वयन को क्रॉनिकल करना।कार्यान्वयन के किसी भी मुद्दे को तुरंत चिह्नित किया जाएगा और संबंधित एसपी/डीसीपी के ध्यान में लाया जाएगा। नामित अधिकारी पायलट के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।

बी.

* बी. पी. आर. और डी./सी. डी. टी. एस./राज्य पुलिस अकादमियों द्वारा प्रशिक्षित पुलिस वीडियोग्राफर प्रशिक्षण कार्यक्रम/प्रशिक्षक पाठ्यक्रम का शुभारंभ।

ग. चरण-III:तीन महीने:प्रायोगिक कार्यान्वयन समीक्षा

सी.

* चरण-II प्रायोगिक कार्यान्वयन की समीक्षा एक स्वतंत्र सलाहकार द्वारा की जानी चाहिए और व्यापक स्तर पर निर्बाध कार्यान्वयन के लिए सुझाव तैयार किए जाने चाहिए।

* एम. एच. ए. द्वारा स्वतंत्र सलाहकार के विवरण पर विचार किया जाएगा और पायलट कार्यान्वयन और समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में अधिकारियों के समूह का चयन किया जाएगा।

डी.

* अनुसंधान के दौरान वीडियोग्राफी के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करने और आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए एम. एच. ए. द्वारा अवलोकन और निष्कर्षों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।

ई.

* इस चरण के दौरान, प्रत्येक राज्य को वीडियोग्राफी इन इन्वेस्टिगेशंस परियोजना के अगले चरण के शुभारंभ के लिए विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए, जिसका विस्तार 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले सभी शहरों तक किया जाए।ख) चौथे चरण के दौरान 20 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले सभी जिलों में।

एफ.

* डिजिटल साक्ष्यों को संभालने में प्रशिक्षित एफ. एस. एल. के एक प्रतिनिधि की पहचान प्रत्येक नई इकाई के लिए की जानी चाहिए ताकि जिला प्रशिक्षित पुलिस वीडियोग्राफरों को सलाह दी जा सके और उनका हाथ पकड़ा जा सके, जहां चरण-IV में इसे लागू करने का प्रस्ताव है। जहां एफ. एस. एल. के पास देने के लिए कोई संसाधन नहीं है, संबंधित जिले के एस. पी./डी. सी. पी. को प्रशिक्षित पुलिस वीडियोग्राफरों को संभालने/सलाह देने के लिए डिजिटल इमेजिंग और बैक-अप प्रौद्योगिकियों में निपुण एक निजी तकनीकी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए।

जी.

एच.

1105

शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ए

ए.

* प्रत्येक राज्य साइबर फोरेंसिक/डिजिटल मीडिया विश्लेषण इकाइयों को बढ़ाने के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को मजबूत करने की योजना प्रस्तुत करेगा।एम. एच. ए. एम. पी. एफ. योजना के तहत इस उद्देश्य के लिए आवश्यकताओं पर विचार करेगा।

* चरण-III के दौरान, प्रायोगिक कार्यान्वयन जिले/शहर वीडियोग्राफी इन इन्वेस्टिगेशन परियोजना के साथ जारी रखेंगे और उन्हें अपने सभी पुलिस स्टेशनों तक विस्तारित करेंगे।

बी.

घ. चौथा चरणः एक वर्षः प्रायोगिक कार्यान्वयन से कवरेज विस्तार

सी.

* तीसरे चरण के दौरान चिन्हित 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों/20 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में वीडियोग्राफी इन इन्वेस्टिगेशन परियोजना का कार्यान्वयन।

* इस चरण के दौरान, प्रत्येक राज्य को उन सभी शेष जिलों/शहरों में वीडियोग्राफी इन इन्वेस्टिगेशन परियोजना के शुभारंभ के लिए विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए, जो पायलट चरण (चरण-II) और चरण-III के दौरान शामिल नहीं थे।

डी.

* डिजिटल साक्ष्यों को संभालने में प्रशिक्षित एफ. एस. एल. के एक प्रतिनिधि की पहचान शेष इकाइयों में से प्रत्येक के लिए जिला प्रशिक्षित पुलिस वीडियोग्राफरों को सलाह देने और हाथ पकड़ने के लिए की जानी चाहिए, जहां चरण-5 में रोल आउट प्रस्तावित है। जहां एफ. एस. एल. के पास प्रदान करने के लिए कोई संसाधन नहीं है, संबंधित जिले के एस. पी./डी. सी. पी. को प्रशिक्षित पुलिस वीडियोग्राफरों को संभालने/सलाह देने के लिए डिजिटल इमेजिंग और बैक-अप प्रौद्योगिकियों में निपुण एक निजी तकनीकी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए।

ई.

एफ.

* गृह मंत्रालय पांचवें चरण के दौरान शेष शहरों और जिलों के लिए परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता देने पर काम करेगा।

ङ. चरण-5:एक वर्षः शेष शहरों और जिलों में कवरेज का विस्तार

जी.

* शेष सभी जिलों और शहरों में वीडियोग्राफी इन इन्वेस्टिगेशन परियोजना का कार्यान्वयन।

* एम. एच. ए. द्वारा स्वतंत्र सलाहकार की रिपोर्ट के आधार पर चरण-**IV** कार्यान्वयन शिक्षा की समीक्षा और प्रस्तुत करना

एच.

1106 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 3 एस. सी. आर.

जाँच परियोजना में वीडियोग्राफी में सुधार के लिए संशोधनों/सुझावों के लिए उच्चतम न्यायालय को स्थिति रिपोर्ट देना।"

6. उपरोक्त के अलावा, समिति ने सुझाव दिया कि भारत सरकार के स्तर पर विशेषज्ञों का एक समूह स्थापित किया जा सकता है जिसमें शामिल हैंः(i) केंद्रीय अनुसंधान एजेंसियों (सी. बी. आई., एन. आई. ए., एन. सी. बी.) का एक प्रमुख अध्यक्ष के रूप में;

बी.

((ii) राज्य पुलिस का एक प्रमुख;

(iii) सी. एफ. एस. एल. का एक प्रमुख या क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ वरिष्ठ फोरेंसिक वैज्ञानिक;

सी.

((iv) एक वरिष्ठ कानूनी पेशेवर (सी. बी. आई. या एन. आई. ए. का एल. ए. या कानून मंत्रालय से तुलनीय); और

(v) सदस्यों के रूप में गृह मंत्रालय का एक वरिष्ठ प्रतिनिधि।

7. समूह को सदस्यों और निजी विशेषज्ञों को सह-चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।समूह समय-समय पर दिशा-निर्देश/सलाह जारी कर सकता है।यह भी सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक राज्य पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए संगठन के भीतर एच. ओ. पी. एफ./सी. पी. ओ. के प्रमुख के तहत एक संचालन समिति बना सकते हैं। प्रत्येक राज्य पुलिस/केंद्रीय अनुसंधान एजेंसी अनुसंधान में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के

बड़े पैमाने पर विस्तार का नेतृत्व करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में आई. जी./ए. डी. जी. के पद पर एक वरिष्ठ अधिकारी को भी नामित कर सकती है।ऐसे अधिकारी को समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करने और आवश्यक उपाय करने/प्रस्तावित करने का अधिकार/जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।

डी.

ई.

8. समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, एमएचए

पुलिस में वीडियोग्राफी के उपयोग पर एक कार्य योजना तैयार की

एफ.

अनुसंधान पअनुसंधान ्अनुसंधान रअनुसंधान शअनुसंधान िअनुसंधान कअनुसंधान ्अनुसंधान षअनुसंधान णअनुसंधान ,अनुसंधान अनुसंधान उअनुसंधान पअनुसंधान कअनुसंधान रअनुसंधान णअनुसंधान ,अनुसंधान अनुसंधान फअनुसंधान ोअनुसंधान रअनुसंधान ेअनुसंधान ंअनुसंधान सअनुसंधान िअनुसंधान कअनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान ुअनुसंधान वअनुसंधान िअनुसंधान धअनुसंधान ाअनुसंधान ओअनुसंधान ंअनुसंधान ,अनुसंधान अनुसंधान आअनुसंधान वअनुसंधान शअनुसंधान ्अनुसंधान यअनुसंधान कअनुसंधान अनुसंधान धअनुसंधान नअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान लअनुसंधान िअनुसंधान एअनुसंधान अनुसंधान एअनुसंधान कअनुसंधान अनुसंधान यअनुसंधान ोअनुसंधान जअनुसंधान नअनुसंधान ाअनुसंधान ,अनुसंधान अनुसंधान मअनुसंधान ाअनुसंधान नअनुसंधान कअनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान ंअनुसंधान चअनुसंधान ाअनुसंधान लअनुसंधान नअनुसंधान अनुसंधान पअनुसंधान ्अनुसंधान रअनुसंधान कअनुसंधान ्अनुसंधान रअनुसंधान िअनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान (अनुसंधान एअनुसंधान सअनुसंधान .अनुसंधान अनुसंधान ओअनुसंधान .अनुसंधान अनुसंधान पअनुसंधान ीअनुसंधान .अनुसंधान)अनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान तअनुसंधान ैअनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान रअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान ंअनुसंधान दअनुसंधान रअनुसंधान ्अनुसंधान भअनुसंधान अनुसंधान मअनुसंधान ेअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ्अनुसंधान षअनुसंधान मअनुसंधान तअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान नअनुसंधान िअनुसंधान रअनुसंधान ्अनुसंधान मअनुसंधान ाअनुसंधान णअनुसंधान अनुसंधान नअनुसंधान िअनुसंधान रअनुसंधान ्अनुसंधान धअनुसंधान ाअनुसंधान रअनुसंधान िअनुसंधान तअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान रअनुसंधान नअनुसंधान ाअनुसंधान ।अनुसंधान इस उद्देश्य के लिए सुझाई गई समय-सीमा इस प्रकार हैः

“सभी केंद्रीय एजेंसियों को तीन महीने के भीतर 2018 के लिए अनुसंधान में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर वार्षिक कार्य योजना तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

जी.

मंत्रालय योजनाओं की जांच करेगा और एक समेकित आवश्यकता तैयार करेगा और एक औपचारिक प्रस्ताव/योजना ए भेजेगा।

एच.

1107

शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ए

जहां तक केंद्रीय एजेंसियों का संबंध है, समेकित कार्य योजना को अंतिम रूप देने/मंजूरी देने के दो महीने के भीतर सहमति और बजट प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय को।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के भीतर वित्त मंत्रालय से बजट प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

बी.

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपने बलों के संबंध में इसी तरह की कार्रवाई करनी होगी।”

9. हम विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट से सहमत हैं कि अनुसंधान के दौरान अपराध स्थल की वीडियोग्राफी आपराधिक न्याय के प्रशासन में सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2009) 8 एस. सी. सी. 539 मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि प्रौद्योगिकी पुलिस प्रशासन की प्रणाली में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस आदेश के पूर्व भाग में उद्धृत निर्णयों में यह भी उल्लेख किया गया है कि नई तकनीकों और उपकरणों के स्पष्ट लाभ हैं, जो अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों के अधीन हैं।इस तरह की तकनीकें और उपकरण दिन का क्रम हैं।प्रौद्योगिकी अनुसंधान में एक महान उपकरण है। वीडियोग्राफी द्वारा, महत्वपूर्ण साक्ष्य को विश्वसनीय तरीके से पकड़ा और प्रस्तुत किया जा सकता है।

सी.

डी.

10. इस प्रकार, हमारा विचार है कि इस तथ्य के बावजूद कि अब तक भारत में अनुसंधान एजेंसियां वीडियोग्राफी के उपयोग के लिए पूरी तरह से सुसज्जित और तैयार नहीं हैं, समय आ गया है कि अनुसंधान में वीडियोग्राफी को लागू करने के लिए कदम उठाए जाएं, विशेष रूप से अपराध स्थल के लिए, जैसा कि कानून के शासन को मजबूत करने के लिए गृह

मंत्रालय की समिति द्वारा सुझाए गए वांछनीय और स्वीकार्य सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में। हम समिति द्वारा तैयार की गई केंद्रीय रूप से संचालित कार्य योजना और ऊपर उल्लिखित समय-सीमा को मंजूरी देते हैं।इसके कार्यान्वयन के लिए परिणामी कदम जल्द से जल्द उठाए जाने चाहिए।

ई.

एफ.

11. हम निर्देश देते हैं कि समिति द्वारा तैयार की गई कार्य योजना को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत एक केंद्रीय निगरानी निकाय (सी. ओ. बी.) का गठन किया जाए।सी. ओ. बी. समय-समय पर निर्देश जारी कर सकता है

जी.

1 पैरा 34-(2009) 8 एस. सी. सी. 539

2 राम सिंह और ओआरएस बनामकर्नल राम सिंह **1985 (**सप्लीमेंट**)** एस**.** सी**.** सी**. 611,** आर**.** बनाममकसूद अली **(1965) 2** ऑल ई**.** आर**. 464,** आर बनाम रॉबसन **(1972) 2** ऑल ई**.** आर**. 699,** तुकाराम एस**.** दिघोले बनाम माणिकराव शिवाजी कोकाटे **(2010) 4** एस**.** सी**.** सी**. 329,** टोमासो ब्रूनो और ए**.** एन**.** आर**.**बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2015) 7** एससीसी **178,** मोहम्मद।अजमल आमिर कसाब बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2012) 9** एस**.** सी**.** सी**. 1** और राज्य **(**एन**.** सी**.** टी**.** दिल्ली**)** बनाम नवजोत संधू **(2005) 11** एस**.** सी**.** सी**. 600**।

एच.

समय।अपनी रिपोर्ट में समिति के सुझावों को भी ध्यान में रखा जा सकता है।सीओबी वीडियोग्राफी के उपयोग की आगे की योजना और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।हम केंद्र सरकार को सी. ओ. बी. को पूरा समर्थन देने और इसके लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने का निर्देश देते हैं।हम यह भी निर्देश देते हैं कि सी. ओ. बी. उचित निर्देश जारी कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वीडियोग्राफी का उपयोग चरणबद्ध तरीके से एक वास्तविकता बन जाए और कार्यान्वयन के पहले चरण में 15 जुलाई, 2018 तक अपराध स्थल वीडियोग्राफी को कम से कम कुछ स्थानों पर सी. ओ. बी. द्वारा निर्धारित व्यवहार्यता और प्राथमिकता के अनुसार शुरू किया जाना चाहिए।

बी.

12. हम विद्वान न्यायमित्र के सुझाव को दर्ज करते हैं कि इस परियोजना के लिए वित्त पोषण शुरू में केंद्र द्वारा यथासंभव किया जा सकता है और एक केंद्रीय सर्वर स्थापित किया जा सकता है।इन सुझावों पर सी. ओ. बी. द्वारा विचार किया जा सकता है। हम यह भी ध्यान देते हैं कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है।13. हम एक संबंधित मुद्दे का भी उल्लेख कर सकते हैं जिससे पहले ही निपटा जा चुका है।

सी.

डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य मामलों में यह न्यायालय।(2015)

8 एससीसी 744।इस अदालत ने निर्देश दिया कि मानवाधिकारों के दुरुपयोग की जांच के लिए सभी पुलिस थानों के साथ-साथ जेलों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।एक और निर्देश की आवश्यकता है कि प्रत्येक राज्य में एक निरीक्षण तंत्र बनाया जाए जिसके द्वारा एक स्वतंत्र समिति सीसीटीवी कैमरा फुटेज का अध्ययन कर सके और समय-समय पर अपनी टिप्पणियों की रिपोर्ट प्रकाशित कर सके।सी. ओ. बी. को इस संबंध में जल्द से जल्द उचित निर्देश जारी करने दें।सी. ओ. बी. अगले तीन महीनों में ऐसे निर्देशों के अनुपालन के बारे में जानकारी भी संकलित कर सकता है और इस न्यायालय को एक रिपोर्ट दे सकता है।

डी.

ई.

14. उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय के सचिव के साथ-साथ सभी राज्य सरकारों के गृह सचिवों द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है।

एफ.

15. निरीक्षण निकाय द्वारा 31 जुलाई, 2018 को या उससे पहले प्राप्त प्रगति का शपथ पत्र दाखिल किया जा सकता है।

इस मामले को आगे के विचार के लिए 1 अगस्त, 2018 को रखा जाए।

जी.

देविका गुजराल

निर्देश जारी किए गए।

एच.